दूरभाष / फै0 : 0135–2719500
उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण
राजीव गाँधी बहुउद्देश्यीय कॉम्पलैक्स, डिस्पेन्सरी रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड
Website- uhuda.org.in E-mail– uhudauk@gmail.com

पत्रांकः–507 / उडा–109 / ई0डी0बी0 / 2015–16 दिनांकः– 14 .03.2016

प्रेषक,

मुख्य प्रशासक,
उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण,
देहरादून, उत्तराखण्ड।

सेवा में,

1–उपाध्यक्ष,
मसूरी–देहरादून विकास
प्राधिकरण, देहरादून।

2–उपाध्यक्ष,
हरिद्वार–रूड़की विकास
प्राधिकरण, हरिद्वार।

3–सचिव,
दूनघाटी विशेष क्षेत्र विकास
प्राधिकरण, देहरादून।

4–सचिव,
नैनीताल झील परिक्षेत्र विशेष क्षेत्र
विकास प्राधिकरण, नैनीताल।

5– नियत प्राधिकारी,
समस्त विनियमित क्षेत्र,
उत्तराखण्ड।

विषय : सेवा का अधिकार अधिनियम अन्तर्गत प्रदान की जाने वाली सेवाओं के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक में अवगत कराना है कि सेवा अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत मानचित्र स्वीकृति हेतु समय सीमा निर्धारित की गयी है। मानचित्र स्वीकृति किये जाने के प्रस्ताव पर कर्मचारी / अधिकारी के पास प्रस्ताव का परीक्षण करने हेतु प्रत्येक स्तर पर समय सीमा निर्धारित की गयी है, जो कि पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित है।

अतः संलग्न में उल्लेखित समय सीमा के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करवाने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(डॉ0 मीनाक्षी सुन्दरम्)
मुख्य प्रशासक।

प्रतिलिपि :– वरिष्ठ नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

(डॉ0 मीनाक्षी सुन्दरम्)
मुख्य प्रशासक।

व्यावसायिक तथा मल्टीपल एवं समूह आवासीय योजना के मानचित्र स्वीकृति की समय सीमा निम्नवत् निर्धारित की जानी उचित रहेगी।

क्र0स0	पद नाम	निर्धारित समय सीमा
1	लेखपाल/पटवारी	05 दिन
2	नियोजन अनुभाग	05 दिन
3	अवर अभियन्ता	15 दिन
4	सहायक अभियन्ता	05 दिन
5	अधिशासी अभियन्ता	05 दिन
6	अधीक्षण अभियन्ता	05 दिन
7	सचिव	05 दिन
8	उपाध्यक्ष	05 दिन
	कुल योग	**50 दिन**

एकल आवासीय मानचित्र की स्वीकृति हेतु समय सीमा निम्वत निर्धारित की जानी उचित रहेगी।

क्र0स0	पद नाम	निर्धारित समय सीमा
1	लेखपाल/पटवारी	02 दिन
2	नियोजन अनुभाग	02 दिन
3	अवर अभियन्ता	03 दिन
4	सहायक अभियन्ता	02 दिन
5	अधिशासी अभियन्ता	01 दिन
6	अधीक्षण अभियन्ता	01 दिन
7	सचिव	02 दिन
8	उपाध्यक्ष	02 दिन
	कुल योग	**15 दिन**

विभिन्न प्राधिकरणों में उक्त मानचित्र विभिन्न स्तर पर स्थानीय व्यव स्वीकृत किये जाते हैं। यदि किसी प्राधिकरण में उक्त श्रृंखला में कर्मचारी/अ तो उपलब्ध कर्मचारी/अधिकारी उपरोक्तनुसार ही मानचित्र स्वीकृति की त करेंगे तथा जो भी व्यवस्था बनायी जायेगी उसे प्राधिकरण अपनी वेबसाइ करेंगे।